अध्याय 8
अन्य मुद्दे

8.1 उपभोक्ताओं को दिए गए स्थायी अग्रिम की वसूली

पहल (डीबीटीएल) योजना में शामिल होने पर बाजार दरों पर आपूरित पहले सिलेन्डर के लिए भुगतान हेतु घरेलू एलपीजी उपभोक्ता को सक्षम बनाने हेतु दिए गए एकमुश्त अग्रिम को 'स्थायी अग्रिम' (पीए) कहा जाता है। यह अग्रिम उपभोक्ता के पास कनेक्शन की समाप्ति तक रहेगा, यद्यपि अग्रिम की वसूली ओएमसीज के पास पड़ी प्रतिभूति जमा से कर ली जाएगी। तथापि, यह देखा गया कि 29.92 लाख मामलों (आईओसीएल में 16.68 लाख, एचपीसीएल में 5.95 लाख और बीपीसीएल में 7.29 लाख मामलें) में ओएमसीज द्वारा धारित प्रतिभूति जमा भुगतान किए गए अग्रिम से काफी कम थी, कमी की मात्रा ₹68.39 करोड़ (आईओसीएल में ₹ 35.70 करोड़, एचपीसीएल में ₹ 15.77 करोड़ और बीपीसीएल में ₹ 16.92 करोड़) थी। अत: इन मामलों में पीए की वसूली संभव नहीं होगी।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि उपभोक्ता द्वारा पीए का धारण जारी रखा गया, जबकि उपभोक्ता का स्टेटस नान कैश ट्रांसफर कम्प्लाइन्ट (एनसीटीसी) में बदल गया था। लेखापरीक्षा में सामूहिक रूप से स्थायी अग्रिम (पीए) के रूप में ₹ 49.21 करोड़ धारण करने वाली तीन ओएमसीज (आईओसीएल में ₹ 41.09 करोड़, एचपीसीएल में ₹ 2.82 करोड़ और बीपीसीएल में ₹ 5.30 करोड़) में ऐसे 9.58 लाख (आईओसीएल में 7.92 लाख, एचपीसीएल में 0.53 लाख और बीपीसीएल में 1.13 लाख) एनसीटीसी उपभोक्ता देखे गए थे। चूंकि, ऐसे उपभोक्ता इस योजना के अंतर्गत पीए के पात्र नहीं थे, इसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ।

ओएमसीज ने निम्नलिखित उत्तर दिए (अप्रैल/मई 2016):

(i) ओईओसीएल तथा बीपीसीएल ने बताया कि पूराने कनेक्शनों तथा शून्य प्रतिभूति जमा के साथ बीपीएल परिवारों को जारी किए गए कनेक्शनों हेतु प्रतिभूति जमा पीए को कवर करने के लिए अपर्याप्त था। ओएमसीज ने यह भी बल दिया कि सभी

उपभोक्ताओं को पीए का निर्गम पहल नीति के अनुसार किया गया था। नान कैश ट्रांसफर कम्प्लाइन्ट उपभोक्ताओं को पीए के हस्तांतरण के संबंध में आईओसीएल तथा बीपीसीएल ने बताया कि यह सभी उपभोक्ता पीए के हस्तांतरण के समय सीटीसी थे और बाद में एनसीटीसी बन गए।

(ii) आईओसीएल ने फिर बताया कि यदि उपभोक्ता बाद में आधार या बैंक अकाऊंट संख्या देकर सीटीसी बन जाता है, तब पीए का अगला भुगतान नहीं किया जाएगा। हस्तांतरण के समय अग्रिम राशि को प्रतिभूति जमा के प्रति इसके समायोजन द्वारा या नकद द्वारा वसूल किया गया था, यदि प्रतिभूति जमा वसूलीयोग्य राशि से कम हो।

(iii) बीपीसीएल ने यह भी सुझाव दिया इन मामलों को एमओपीएनजी के पास भेजा जा सकता था।

(iv) एचपीसीएल ने बताया कि सिलेन्डर एवं रेग्युलेटर तथा पीए की प्रतिभूति जमा में कोई संबंध नहीं था, इन्हे अलग लेखा शीर्षो में रखा गया था, अत: पीए की वसूली हेतु प्रतिभूति जमा की अपर्याप्तता का प्रश्न ही नही उठता। नान-कैश ट्रांसफर कम्पलाइन्ट (एनसीटीसी) उपभोक्ताओं को पीए जारी रखने के संबंध में एचपीसीएल ने बताया कि अग्रिम का भुगतान उपभोक्ता को सीटीसी बनने पर किया जाता था और समापन तक रखा जाता था। तत्पश्चात, यदि एक उपभोक्ता एनपीसीआई में आधार हटाने के कारण या बैंक अकाऊंट के बंद होने के कारण एनसीटीसी बन जाता है तब डाटा एनसीटीसी उपभोक्ता को पीए के भुगतान को दर्शाएगा कि इस मामले में कोई अनियमितता नहीं थी।

ओएमसीज के उत्तरों को निम्नलिखित के मद्देनजर देखे जाने की आवश्यकता है:

- प्रतिभूति जमा तथा स्थायी अग्रिम (पीए) का रख-रखाव अलग शीर्षो में किया जाता था, जैसाकि एचपीसीएल द्वारा बताया गया था, को माना जाता है। लेखापरीक्षा ने केवल समस्या को दर्शाया जो उन मामलों, जहां प्रतिभूति जमा अपर्याप्त थी, में कनेक्शन को समाप्त करते समय पीए की वूसली में ओएमसीज के सामने आएंगी।

इसके अलावा, आईओसीएल प्रतिभूति जमा के प्रति पीए का समायोजन कर रही है, जैसाकि इसने अपने उत्तर में बताया।

- एचपीसीएल ने उत्तर दिया कि जब एक सीटीसी उपभोक्ता एनसीटीसी में परिवर्तित होता है, तब पीए रहेगा तथा यह इस तथ्य के प्रति कोई अनियमितता नहीं देखी जानी चाहिए कि पीए को उद्देश्य पात्र घरेलू एलपीजी उपभोक्ता को किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के बिना बाजार कीमत पर पहला सिलेन्डर खरीदने हेतु समर्थ बनाना था। जब उपभोक्ता का स्टेटस सीटीसी से एनसीटीसी में बदल जाता है, तब वास्तविक उद्देश्य, जिसके लिए पीए का भुगतान किया गया था, विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ जिसका अधिक पात्र एलपीजी उपभोक्ताओं को बाजार कीमत पर उनका पहला सिलेन्डर खरीदने के लिए विचलन किया जा सकता था।

लेखपरीक्षा ने संवीक्षा किए गए नमूने में देखा कि नान-कैश ट्रांसफर कम्पलाइन्ट उपभोक्ताओं के पास स्थायी अग्रिम के रूप में ₹ 49.21 करोड़ था। चूंकि ये उपभोक्ता अग्रिम हेतु पात्र नहीं थे, इसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने देखा कि काफी संख्या में उपभोक्ताओं की प्रतिभूति जमा उनको भुगतान किए गए स्थायी अग्रिम से काफी कम थी। चूंकि, स्थायी अग्रिम की कनेक्शन की समाप्ति पर प्रतिभूति जमा से वूसली अपेक्षित थी, ऐसे मामलों में इसकी वसूली संदेहास्पद रही।